न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 72/2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 28.10.2024

1. प्रेम देवी पत्नि जयराम जाति जाट निवासी ग्राम चौरू तहसील फागी जिला दूदू।

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री तेजाराम चौधरी वकील प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पत्थरगढी
निर्णय

दिनांक:– 28.10.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 3931/2 रकबा 1.9094 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। जिसका प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 3931/2 की भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। लेकिन प्रार्थीया की भूमि पर पडोसी खातेदारों द्वारा आये दिन हर वषर मेर कोर को दबाते चले आ रहे है आये दिन मेर कोर सीमाओं को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते रहते है। प्रार्थीया की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने अपनी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एलआर/23/2335–36 दिनांक 13.06.23 की पालना में दिनांक 26.06.23 को पटवारी हल्का चौरू दक्षिण में सीमाज्ञान करवाया गया एवं सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी पडोसी खातेदारों द्वारा उक्त सीमाओं की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में हुये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.23 को मौके पर खातेदार व अन्य पडोसी खातेदारी की उपस्थिति के समक्ष सेग्रीगेशन नक्शा शीट से जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बर के सीमा चिन्ह बताये गये। मौके पर उपस्थित को निशानात बताकर अवगत कराया गया। उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये। पडोसी खातेदारान नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुये एवं प्रार्थीया की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है। क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी के सीमाज्ञान

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

आदेश क्रमांक/एलआर/23/2335–36 दिनांक 13.06.23 की पालना आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम निशानात को पडोसी खातेदारी नहीं मानते है तथा प्रार्थीया से आये दिन लड़ाई झगडा व मेर कोर को लेकर विवाद करते है तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से पडोसी खातेदार विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीया को पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3931/2 की भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उत्पन्न विवाद समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को उक्त प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश कर बताया कि ग्राम चौरू दक्षिण के खसरा नम्बर 3931/2 रकबा 1.9094 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रेम देवी पत्नि जयराम जाति जाट के नाम दर्ज है। पूर्व में दिनांक 26.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया। बाकी शेष कथन प्रार्थी एवं पडोसी काश्तकारों से संबंधित है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की हस्तगत प्रकरण सीमाज्ञान पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादगस्त आराजी का प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अनुसार उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान पूर्व मे दिनांक 26.06.2023 को हो चुका है, लेकिन प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 26.06.2023 को हुई सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को पडौसी खातेदार नही मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडा करते है। पत्थरगढी नही होने से पडौसी खातेदार विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीया अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो से विवाद होना बताया है। प्रार्थीया व पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐ रखने हेतु पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 221 के आराजी खसरा नम्बर 3931/2 रकबा 1.9094 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर पडोसी खातेदारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/X/24

(राकेश कुमार जी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू